फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 09.08.2024

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 146/2024 धारा- 304(2)/317(2) बीएनएस में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण को चोरी की 01 मोटर साइकिल व 01 मोबाईल फोन सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 146/24 धारा- 304(2)/317(2) बीएनएस मे प्रकाश में आये 03 नफर अभियुक्तगण 1.गौरव पुत्र पिन्टू निवासी ग्राम मैदाश्यामपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ 2.उदय पुत्र विनोद कुमार निवासी रठौरा मौहद्दीनपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ को दिनांक 09.08.2024 को चोरी की 01 मोटर साइकिल अपाचे व 01 मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. गौरव पुत्र पिन्टू निवासी ग्राम मैदाश्यामपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।
2. उदय पुत्र विनोद कुमार निवासी रठौरा मौहद्दीनपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण :- दिनांक 06.08.24 को समय 20.00 बजे दरियावगंज से कमालगंज जाने वाले मार्ग पर तीन अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा कमलेश दीक्षित उर्फ कल्लू पुत्र दयाराम दीक्षित निवासी ग्राम दानमण्डी थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ से मोबाईल फोन छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 146/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना जहानगंज पर पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में दिनांक 09.08.2024 को उ0नि0 अच्छेलाल पाल, उ0नि0 स्वदेश कुमार मय हमराह हे0का0 सुनील कुमार, का0 निरंकार, का0 मंजीत द्वारा रामबाग चौराहा थाना जहानगंज पर संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग कर रहे थे, चेकिंग के दौरान 02 नफर अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र पिन्टू निवासी ग्राम मैदाश्यामपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ 2.उदय पुत्र विनोद कुमार निवासी रठौरा मौहद्दीनपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ को रामबाग चौराहा थाना जहानगंज से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बनधित चोरी का मोबाईल फोन लावा कम्पनी तथा थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 140/2024 धारा 379 भादवि0 से सम्बन्धित 01 मोटर साइकिल अपाचे रंग सफेद नं0 UP 76 W 1678 को बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में जरिये दूरभाष प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा को सूचना दी गयी। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गयी।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनो ने अपने तीसरे साथी सौरभ पुत्र श्यामसिंह निवासी राजेपुर भूड थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ की मदद से यह मोबाईल फोन दिनांक 06.08.2024 को समय 20.00 बजे दरियावगंज से कमालगंज जाने वाले रोड पर एक राहगीर से छीना था और अपनी अपाचे मोटर साइकिल से भाग गये। बरामद मोटर साइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि यह मोटर साइकिल हम तीनों ने ग्राम ढिलावल थाना मऊदरवाजा से चोरी की थी। शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 मोबाईल फोन (टच स्क्रीन) लावा कम्पनी रंग काला।
2. 01 अदद मोटर साइकिल अपाचे रंग सफेद नं0 UP 76 W 1678।
3. 170/-रुपये नकद (जामातलाशी)।

अभियुक्त गौरव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 146/2024 धारा- 304(2)/317(2) बीएनएस थाना जहानगंज।
2. मु0अ0स0 140/2024 धारा 379 भादवि0 थाना मउदरवाजा।

अभियुक्त उदय का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 146/2024 धारा- 304(2)/317(2) बीएनएस थाना जहानगंज।
2. मु0अ0सं0 230/2023 धारा 307,201,120B34 भादवि0व 3/25/27 A Act थाना जहानगंज।
3. मु0अ0स0 140/2024 धारा 379 भादवि0 थाना मउदरवाजा।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अच्छेलाल पाल
2. उ0नि0 श्री स्वदेश कुमार
3. हे0का0 सुनील कुमार
4. का0 मंजीत
5. का0 निरंकार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक :- 09.08.2024

फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 198/2024 में वांछित 01 अभियुक्त पर 25 हजार रु0 का इनाम किया गया घोषित।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप सिंह** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फतेहगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. योगेन्द्र सिंह उर्फ चन्नू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी लोको रोड भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को जो बन्दी बनायेगा या बन्दीकरण का विरोध करने पर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए बन्दी बनायेगा या अभियुक्त की सही सूचना देगा उसे अभियुक्त के नाम के सामने अंकित धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा। घोषित पुरस्कार की धनराशि सन्तुष्टि होने पर बजट सीमा के अन्दर ही दी जायेगी।

अभियुक्त पर घोषित पुरस्कार की धनराशि से अधिक धनराशि का पुरस्कार उच्चाधिकारियों या शासन द्वारा घोषित किया जाता है, तो यह पुरस्कार स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा, अधिकतम पुरस्कार ही मान्य होगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है

कि सम्बन्धित अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, तो ऐसी दशा में पुरस्कार की धनराशि जांच पूर्ण होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी।

क्र0 सं0	नाम पता अपराधी	वांछित अपराध	पुरस्कार की धनराशि
1	योगेन्द्र सिंह उर्फ चन्नू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी लोको रोड भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़	मु0अ0सं0- 198/2024 धारा- 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।	25,000 रु0

मीडिया सेल फतेहगढ ।

रंजन मार्केट
मिष्ठान भण्डार